

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
भागलपुर।

विषय:-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद अन्तर्गत कृष्णानंद उच्च विद्यालय मैदान स्थित स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं नाला एवं दक्षिण चहारदिवार निर्माण कार्य के संशोधित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

पटना, दिनांक...11/9/17

प्रसंग:-
महाशय,

आपका पत्रांक-352(अनु०) दिनांक- 02.08.2017

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना के संशोधित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (लाख में)	पूर्व में तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	पूर्व में अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (रु० में)	संशोधित तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	संशोधित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (रु० में)
1.	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद अन्तर्गत कृष्णानंद उच्च विद्यालय मैदान स्थित स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं नाला एवं दक्षिण चहारदिवार निर्माण कार्य।	69.139 लाख रु० (आयुक्त के सचिव भागलपुर प्रमंडल के पत्रांक-48 दिनांक- 11.02.2016)	63.232 लाख रु०	60,22,059 /-	69.063 लाख रु०	65,77,403 /-

अतः उक्त योजना के संशोधित तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लौटायी जाती है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature] 11.09.17

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद अन्तर्गत कृष्णानंद उच्च विद्यालय मैदान स्थित स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं नाला एवं दक्षिण चहारदिवार निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 69,13,900 /--(उन्नहत्तर लाख तेरह हजार नौ सौ) रुपये मात्र। आयुक्त के सचिव भागलपुर प्रमंडल के पत्रांक-48 दिनांक-11.02.2016
- 3 संशोधित तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 69,06,300 /--(उनहत्तर लाख छ हजार तीन सौ) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) पी0सी0सी0/आर0सी0सी0 कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्यक करा लेंगे।
(ix) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(x) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(xi) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(xii) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xiii) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xv) विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
(xvi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

11.09.17

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।